न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(6)

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2016 अपील

श्री गजानन्द पिता लादू लाल तेली निवासी करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द बमामले
प्रकरण सं0 540/2015 निर्णय दिनांक 29.02.2016

उपस्थित –

श्री मुकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द बमामले प्रकरण सं0 540/2015 निर्णय दिनांक 29.02.2016 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द की बिलानाम आराजी नम्बर 969 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी पटवार हल्का करजालिया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही नही की, जिस पर अपीलार्थी ने तहसीलदार आसीन्द के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2015 को मौका देखा गया। जिसमें 0.77 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी व उसके परिवार का कब्जा पाया गया व 0.06 हैक्ट. भूमि पर महाराम पुत्र हजारी भील का कब्जा पाया गया। इस पटवार हल्का करजालिया द्वारा अपीलार्थी का 0.77 हैक्ट. भूमि पर कब्जा होते हुए भी केवल 0.21 हैक्ट. भूमि पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही करते हुए धारा 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण पेश

किया एवं पत्रावली में कोई जांच रिपोर्ट नही आने व पत्रावली पर आपत्ति/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में पर्चा मौका दिनांक 16.11.2015 रिकार्ड पर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2016 को बिना पत्रावली का अवलोकन किये केवल 0.21 हैक्ट. भूमि का अतिक्रमी मान बेदखल करने का निर्णय पारित फरमा दिया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि मामले में पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट नही आयी फिर भी निर्णय पारित किया गया व साथ ही पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट नही आयी तो पटवार हल्का की उपस्थिति में गिरदावर द्वारा दिनांक 16.11.2015 को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमें पटवार हल्का स्वयं के हस्ताक्षर है व उसकी मौजूदगी में बनाया गया है, जो मौका पर्चा रिकार्ड पर होते हुए भी उसका भी अवलोकन नही कर मनमकसूद तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के विरूद्व सम्पूर्ण रकबे की 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही करायी जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.04.2016 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द की बिलानाम आराजी नम्बर 969 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी पटवार हल्का करजालिया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही नही की, जिस पर अपीलार्थी ने तहसीलदार आसीन्द के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2015 को मौका देखा गया। जिसमें 0.77 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी व उसके परिवार का कब्जा पाया गया व 0.06 हैक्ट. भूमि पर महाराम पुत्र हजारी भील का कब्जा पाया गया। इस पटवार हल्का करजालिया द्वारा अपीलार्थी का 0.77 हैक्ट. भूमि पर कब्जा होते हुए भी केवल 0.21 हैक्ट. भूमि पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही करते हुए धारा 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण पेश किया एवं पत्रावली में कोई जांच रिपोर्ट नही आने व पत्रावली पर आपत्ति/प्रार्थना पत्र

में वर्णित तथ्यों के संबंध में पर्चा मौका दिनांक 16.11.2015 रिकार्ड पर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2016 को बिना पत्रावली का अवलोकन किये केवल 0.21 हैक्ट. भूमि का अतिक्रमी मान बेदखल करने का निर्णय पारित फरमा दिया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि मामले में पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट नही आयी फिर भी निर्णय पारित किया गया व साथ ही पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट नही आयी तो पटवार हल्का की उपस्थिति में गिरदावर द्वारा दिनांक 16.11. 2015 को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमें पटवार हल्का स्वयं के हस्ताक्षर है व उसकी मौजूदगी में बनाया गया है, जो मौका पर्चा रिकार्ड पर होते हुए भी उसका भी अवलोकन नही कर मनमकसूद तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के विरूद्व सम्पूर्ण रकबे की 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही करायी जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि पटवारी हल्का करजालिया की रिपोर्ट अनुसार गजानंद पिता लादू लाल तेली निवासी करजालियां ने राजकीय भूमि आराजी नं. 969 किस्म बिलानाम भूमि रकबा 0.21 पर अतिक्रमण कर फसल तिल काश्त की है। इस हेतु अप्रार्थी गजानंद पिता लादूलाल तेली को अतिक्रमी घोषित किया गया। अतिक्रमण भू भाग ग्राम करजालियां के आराजी नम्बर 969 रकबा 0.21 के 50 गुणा से पेनल्टी रूपये 11/—अक्षरे ग्यारह रूपये अप्रार्थी पर शास्ति आरोपित की गयी जो नियमानुसार उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जाये।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवारी हल्का करजालिया के पर्चा मौका दिनांक 16.11.2015 अनुसार ग्राम करजालिया के बिलानाम आराजी नं. 969 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड़ में से 0.06 हैक्ट. रकबा शिकायतकर्ता के पास में नही होकर महाराम पिता हजारी भील के पास कब्जे में होकर मौके पर पड़त है। शेष 0.77 हैक्ट. रकबा पर शिकायतकर्ता के पिता लादूलाल का कब्जा है जो इसकी देखभाल करते है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.02.2016 में आराजी नं. 969 रकबा 0.21 हैक्ट. भूमि पर गजानंद पिता लादू तेली निवासी करजालिया को अतिक्रमी मानकर उस पर 11/–रूपये शास्ति आरोपित की है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलार्थी की अपील मेमो के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 16.11.2015 को दृष्टिगत रखते हुये आराजी नं. 969 कुल क्षैत्रफल 0.83 हैक्ट. में वास्तविक अतिक्रमण क्षैत्रफल की जांच करते हुये पृथक से नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द प्रकरण सं0 540/2015 निर्णय दिनांक 29.02.2016 के क्रम में आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 540/2015 निर्णय दिनांक 29.02.2016 को यथावत रखते हुये तहसीलदार आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम करजालिया के आराजी नं. 969 रकबा 0.83 हैक्ट. में से 0.21 हैक्ट. अतिक्रमित भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि के संबंध में मौका पर्चा दिनांक 16.11.2015 को दृष्टिगत रखते हुये आराजी नं. 969 कुल क्षैत्रफल 0.83 हैक्ट. में वास्तविक अतिक्रमण क्षैत्रफल की जांच करते हुये पृथक से नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)